

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.24()लेखा-ए/अनु/बजट/निकाशि/2011-12/1251

दिनांक:-22-12-11

आदेश

निम्नलिखित सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 7 एवं नियम 1993 के नियम 9 के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में निम्न शर्तों के अधीन उनके नाम के आगे कॉलम 5 में अंकित आवर्ती अनुदान राशि राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम (RVRES) 2010 के तहत विभाग में उपस्थिति दिनांक तक की अवधि (माह जुलाई एवं अगस्त 2011) एवं (RVRES) 2010 के तहत आवेदन नहीं करने वाले अथवा उपस्थित नहीं होने वाले कार्मिकों के माह जुलाई 2011 तक के वेतन भत्तों का भुगतान करने हेतु Provisional रूप से व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस स्वीकृति में माह अप्रैल से जून 2011 की अवधि के लिए वास्तविक व्यय के आधार पर कम या अधिक स्वीकृत राशि को समायोजित किया गया है। यह स्वीकृति दिनांक 31.3.2012 तक प्रभावी रहेगी :-

1. यह अनुदान सहायता अनुमानित आधार पर होने से उसका समायोजन वर्ष 2011-12 के वास्तविक अनुमोदित व्यय के अन्तिमीकरण जो कि नियमानुसार होगा, के अधीन किया जावेगा।
2. इस सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश संख्या प.24(137)लेखा/अनु/आकाशि/04/222-91 दिनांक 08.04.2004 की पालना में प्रथम अनुदान बिल के साथ समस्त वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे एवं इन आदेशों में अंकित शर्तों की अक्षरशः पालना की जावे।
3. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.8(3)वि.मा./97 दिनांक 15.6.2002 की अनुपालना में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की पी.एफ.राशि का अंशदान सम्बन्धित कोष कार्यालय में पूर्व की भाँति पी.डी.खाते में जमा कराई जावे।
4. इस अनुदान सहायता का उपयोग नियमों में उल्लेखित मान्य व्यय-प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा।
5. इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत अनुदान राशि में से अनुपयोगी राशि यदि कोई रहेगी तो दिनांक 31.3.2012 तक राजकोष में वापस जमा करानी होगी।
6. संस्थाओं के हिसाब के लेखे-जोखे भारतीय लेखा परीक्षा विभाग एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ-साथ विभाग के अधिकारियों के लिए निरीक्षणार्थ हेतु खुले रहेंगे।
7. संस्थाओं के वार्षिक हिसाब विवरण (स्टेटमेंट) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षित कराया जाकर ही प्रस्तुत किया जावेगा।
8. सहायता प्राप्त अनुदान राशि में से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति को राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा और न ही उसे गिरवी रखा जा सकेगा तथा उसका उपयोग उस प्रयोजन के अलावा जिसके लिए सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया है, किसी अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जा सकेगा।
9. प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना विभाग को तुरन्त प्रेषित की जावेगी।
10. अनुदान सहायता राशि प्राप्ति के लिए अधिकृत व्यक्ति के परिवर्तन की सूचना कारण सहित तुरन्त प्रेषित की जावेगी।
11. सहायता राशि के मासिक बिल के साथ गत माह के वेतन का विवरण, बैंक के माध्यम से भुगतान के प्रमाण पत्र एवं सी.पी.एफ. में जमा चालान की प्रति (एक प्रति में) भिजवाया जाना अनिवार्य होगा।
12. पिछले माहों के वेतन का बकाया विवरण यथा बैंक के माध्यम से भुगतान का प्रमाण पत्र एवं सी.पी.एफ. में जमा चालान की एक प्रति यदि बकाया हो तो वित्तीय वर्ष के प्रथम बिल के साथ संलग्न कर भिजवाये अन्यथा बिल पारित नहीं किये जावेगें।
13. वर्ष के दौरान अनुदान स्वीकृत पद पर कार्यरत कार्मिक के सेवानिवृत्त होने/सेवा त्याग/मृत्यु होने पर शीघ्र सम्पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय को सूचित करेगें।
14. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 12 (1) के तहत पूर्व के अनुदान को अन्तिम रूप देने के लिए विहित प्रारूप में आवेदन प्रपत्र मय आवश्यक प्रपत्रों के साथ 31 अगस्त, 2011 तक इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करने का प्रावधान है जिसके अनुसार यदि

आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया हो तो बिल के साथ प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अनुदान बिल पारित नहीं किये जायेंगे ।

15. अनुदान बिलों पर संस्था की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक/डी.डी.ओ. के हस्ताक्षर रेवेन्यू स्टाम्प पर करवाकर प्रस्तुत करें, अन्यथा बिल स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
16. विभाग द्वारा माह अप्रैल 2011 से जून 2011 तक के लिए स्वीकृत प्रोविजनल अनुदान राशि हेतु प्रेषित डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक की प्राप्ति रसीद निर्धारित प्रारूप में बिल के साथ प्रेषित करावें अन्यथा अनुदान बिल पारित नहीं किये जायेंगे।

वर्ष 2011-12 के लिए स्वीकृत आवर्ती अनुदान Provisional का विवरण

(राशि लाखों में)

क.सं.	कॉलेज क.सं.	महाविद्यालय का नाम	जिला	माह जुलाई एवं अगस्त के लिए देय राशि
1	2	3	4	5
1.	1	आदर्श डिग्री गर्ल्स कॉलेज, अजमेर	अजमेर	2.51
2.	2	दयानन्द कॉलेज, अजमेर	अजमेर	23.24
3.	3	दयानन्द आर्य बालिका महाविद्यालय, ब्यावर अजमेर	अजमेर	5.16
4.	4	सावित्री गर्ल्स कॉलेज अजमेर	अजमेर	22.06
5.	5	श्री प्राज्ञ महाविद्यालय, विजयनगर, अजमेर	अजमेर	6.89
6.	6	सोफिया गर्ल्स कॉलेज, अजमेर	अजमेर	8.48
7.	7	विजय सिंह पथिक श्रमजीवी कॉलेज, अजमेर	अजमेर	2.30
8.	8	आर्य विद्यापीठ पी.जी.गर्ल्स कॉलेज, भुसावर, भरतपुर	भरतपुर	3.42
9.	9	श्री बांक बिहारी कन्हैयालाल महिला महा. डीग, भरतपुर	भरतपुर	2.59
10.	10	आचार्य श्री तुलसी अमृत महाविद्यालय, गंगापुर (भीलवाड़ा)	भीलवाड़ा	1.00
11.	11	बी.जे.एस. रामपुरीया, जैन कॉलेज, बीकानेर	बीकानेर	5.87
12.	12	बिनानी कन्या महाविद्यालय, बीकानेर	बीकानेर	1.00
13.	13	श्री जैन पी.जी. कॉलेज, बीकानेर	बीकानेर	9.54
14.	14	श्री नेहरू शारदा पीठ, बीकानेर	बीकानेर	1.27
15.	15	चूरु गर्ल्स कॉलेज, चूरु	चूरु	4.09
16.	16	मोहता कॉलेज, सादुलपुर चूरु	चूरु	3.94
17.	17	श्रीमती के.डी.जी.डी.मित्तल गर्ल्स कॉलेज, सरदारशहर, चूरु	चूरु	2.07
18.	18	सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय, सुजानगढ़, चूरु	चूरु	3.57
19.	19	मीरा कन्या महाविद्यालय, संगरिया, हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	2.14
20.	20	जी.वी.कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड साइंस, संगरिया, हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	2.22
21.	21	नेहरू मेमोरियल कॉलेज, हनुमानगढ़ टाउन	हनुमानगढ़	10.37
22.	22	सरस्वती गर्ल्स कॉलेज, हनुमानगढ़ जंक्शन	हनुमानगढ़	2.35
23.	23	अग्रवाल कॉलेज, जयपुर	जयपुर	18.99
24.	24	गांधी महिला महाविद्यालय, किशनगढ़ रेनवाल, जयपुर	जयपुर	2.41
25.	25	कानोडिया महिला महाविद्यालय, जयपुर,	जयपुर	0.00
26.	26	लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, जयपुर	जयपुर	10.74
27.	27	एस.एस.जी.पारीक कॉलेज, जयपुर	जयपुर	6.78
28.	28	एस.एस.जी. पारीक कन्या महाविद्यालय, जयपुर	जयपुर	5.66
29.	29	एस.एस.जैन सुबोध महाविद्यालय, जयपुर	जयपुर	16.95
30.	30	संत जयाचार्य महिला महाविद्यालय, जयपुर	जयपुर	2.77
31.	31	श्री खण्डेलवाल वैश्य गर्ल्स कॉलेज, जयपुर	जयपुर	8.36
32.	32	श्री वीर बालिका पी.जी.महाविद्यालय, जयपुर	जयपुर	13.29
33.	33	श्री सत्य साईं कॉलेज फॉर वूमन, जयपुर	जयपुर	8.66
34.	34	श्री भवानी निकेतन गर्ल्स कॉलेज, जयपुर	जयपुर	7.09
35.	35	वैदिक कन्या महाविद्यालय, जयपुर	जयपुर	12.24
36.	36	सेठ ज्ञानीराम बंशीधर पोद्दार कॉलेज, नवलगढ़, झुंझुनू	झुंझुनू	19.78
37.	37	सेठ मोती लाल महाविद्यालय, झुंझुनू	झुंझुनू	14.76
38.	38	चिढावा कॉलेज, चिढावा, झुंझुनू	झुंझुनू	8.58
39.	39	इंदिरा गांधी बालिका निकेतन, अरडावता, झुंझुनू	झुंझुनू	1.66
40.	40	जे.बी.शाह गर्ल्स कॉलेज, झुंझुनू	झुंझुनू	11.59
41.	41	एम.के.साबू कॉलेज ऑफ कामर्स, पिलानी, झुंझुनू	झुंझुनू	6.01
42.	42	सेठ गंगाधर शिवभगवान पटवारी कॉलेज, बग्गड, झुंझुनू	झुंझुनू	2.52

43.	43	कनोडिया महाविद्यालय, मुकुन्दगढ़, झुंझुनू	झुंझुनू	3.45
44.	44	श्रीमती जे.डी.एस.एस.बालिका महाविद्यालय, चिढावा, झुंझुनू	झुंझुनू	6.05
45.	45	विनोदिनी पी.जी.कॉलेज, खेतडी, झुंझुनू	झुंझुनू	11.21
46.	46	लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नो.जोधपुर	जोधपुर	1.51
47.	47	महिला महाविद्यालय, जोधपुर	जोधपुर	8.45
48.	48	ओंकारमल सोमानी कॉलेज ऑफ कामर्स, जोधपुर	जोधपुर	1.79
49.	49	राजस्थानी शोध संस्थान, जोधपुर	जोधपुर	0.63
50.	50	कुचामन कॉलेज, कुचामन सिटी, नागौर	नागौर	7.31
51.	51	श्री जैन तेरापंथी कॉलेज, राणावास, पाली	पाली	2.70
52.	52	एस.पी.यू.पी.जी. महाविद्यालय, फालना, पाली	पाली	7.02
53.	54	अग्रवाल कन्या महाविद्यालय, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	4.75
54.	56	सेठ आर.के.घानुका गर्ल्स कॉलेज, फतेहपुर, सीकर	सीकर	1.70
55.	57	श्री बी.डी. तोदी कॉलेज, लक्ष्मणगढ़ सीकर	सीकर	7.08
56.	58	श्री कृष्ण सत्संग बालिका महाविद्यालय, सीकर	सीकर	2.87
57.	59	महर्षि दयानन्द गर्ल्स कॉलेज, रायसिंह नगर, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	4.90
58.	60	ज्ञान ज्योति कॉलेज, श्री करणपुर, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	9.03
59.	61	महर्षि दयानन्द कॉलेज, श्री गंगानगर	श्रीगंगानगर	12.89
60.	62	एस. जी. एन. खालसा महाविद्यालय, श्री गंगानगर	श्रीगंगानगर	16.75
61.	63	शहीद भगत सिंह कॉलेज, रायसिंहनगर, श्री गंगानगर	श्रीगंगानगर	4.96
62.	64	सेठ जी.एल.बियानी एस.डी. पी.जी. कॉलेज, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	15.51
63.	65	भूपाल नोबल्स कॉलेज, उदयपुर	उदयपुर	13.24
64.	66	पंडित उदय जैन महाविद्यालय कानोड़, उदयपुर	उदयपुर	3.00
65.	67	एम.वी.श्रमजीवी कॉलेज, उदयपुर	उदयपुर	10.42
66.	68	प्रताप शोध प्रतिष्ठान, उदयपुर	उदयपुर	1.44
67.	69	साहित्य संस्थान, उदयपुर	उदयपुर	0.28
68.	70	उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क उदयपुर	उदयपुर	0.03
69.	71	विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट, उदयपुर	उदयपुर	7.50
		योग		469.88

(राशि रु. चार करोड़ उनेत्तर लाख अठ्यासी हजार मात्र)

यह राशि वर्ष 2011-12 के निम्न बजट शीर्ष से वहन की जावेगी :-

मांग संख्या -24

- 2202 - सामान्य शिक्षा
- 03 - विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा
- 104 - गैर सरकारी महाविद्यालय एवं संस्थाओं को अनुदान
- (02) - महाविद्यालय
- 12 - सहायतार्थ अनुदान (आयोजना भिन्न)

निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

कमांक:-एफ.24() लेखा-ए/अनु/बजट/निकाशि/2011-12 / 1243-1350 दिनांक:- 22-12-11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, सचिवालय, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. संयुक्त निदेशक (अनुदान) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर ।
7. कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी
8. समस्त सचिव/प्राचार्य सहायता प्राप्त महाविद्यालय, राजस्थान, कृपया (RVRES) 2010 के तहत विभाग में उपस्थिति दिनांक तक की अवधि (माह जुलाई एवं अगस्त 2011) एवं इन नियमों के तहत आवेदन नहीं करने वाले अथवा उपस्थित नहीं होने वाले कार्मिकों के माह जुलाई 2011 के बिल तैयार कर निर्धारित प्रमाण पत्र-पत्रों/दस्तावेजों के साथ इस विभाग को अविलम्ब प्रस्तुत करें।
9. रक्षित पत्रावली

मुख्य लेखाधिकारी

कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर